झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ

इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) (संशोधन) विधेयक, 2023

इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) अधिनियम, 1951 (यथा अंगीकृत) को झारखण्ड राज्य में निरस्त करने के लिए एक विधेयक।

यह भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखंड राज्य के विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:-

(1) इस अधिनियम को इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) संशोधन अधिनियम, 2023 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार पूरे झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. निरसन और व्यावृत्तियाँ - इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) अधिनियम, 1951 (यथा अंगीकृत) को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

परन्तु इस तरह के निरसन के बावजूद, एतद द्वारा निरसित अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई कार्रवाई या की गई कथित कार्रवाई, जहां तक इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, को इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा।

उद्देश्य एवं हेतु

यक्ष्मा रोग के प्रसार के मद्देनजर इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है। साथ ही उक्त अधिनियम में निहित नियम इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम के 3 मिल की परिधि में किसी प्रकार के निर्माण कार्य को प्रतिबंधित करता है, जिसके कारण विकास कार्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। उक्त अधिनियम को निरस्त करने हेतु इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग) संशोधन अधिनियम, 2023 अधिनियमित किया जाना समय की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपरोक्त अधिनियम को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(बन्ना गुप्ता)
भार-साधक- सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 28(A)--200--21-3-2023 ।